नकल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 49/2021

शहीद पुत्र जुहरा जाति मेव निवासी ग्राम धीमरी तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. हाजरा पत्नि अब्दुल रसीद
3. अब्दुल मजीद पुत्र ईस्माईल जाति मेव निवासी ग्राम धीमरी तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :—07/01/2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1119/0.16 एवं खसरा नम्बर 1117/0.16 बांके ग्राम धीमरी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 1119 प्रार्थी की खातेदारी तथा खसरा नम्बर 1117 अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी खातेदारी की आराजी भूमि पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की आराजी भूमि की तरमीम कायम करते समय प्रार्थी की आराजी का मौका व कब्जा मुआयना व जाँच पडताल किये बिना ही गलत रूप से तरमीम कायम करदी गई। जो कि खिलाफ कानून व मौका कब्जा है। प्रार्थी मौके पर रिकॉर्ड में दर्शित तरमीम के खसरा नम्बर 1117 /0.16 के स्थान पर काबिज काश्त है और इसी जगह पर काफी अरसे से काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के मौका कब्जा काश्त के स्थान पर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1117/0.16 को तथा अप्रार्थीगणो के मौका व कब्जा काश्त के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1119/0.16 को रिकॉर्ड में दर्शित कर तरमीम करदी गई है। जो कि खिलाफ मौका व कब्जा है। जिससे प्रार्थी को परेशानी आ रही हैं इसलिए

प्रमाणित सत्यप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी [भरतपुर]

क्रमांक/राजस्व/2022/45

दिनांक :— 10/01/2022

तहसीलदार
पहाड़ी

निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी रिकॉर्ड में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम की गई गलत तरमीम को शुद्ध कराकर मौका व कब्जानुसार सही तरमीम कायम करा पाने के अधिकारी है। प्रार्थी को गलत तरमीम का इल्म नकल रिकॉर्ड लेने पर हुई । जिसकी शुद्धि बाबत प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ प्रस्तुत हुआ तो शुद्धि करने से साफ इन्कार कर दिया और न्यायालय श्रीमान के यहाँ से आदेश लाने के लिये कहा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकॉर्ड में की गई गलत तरमीम को शुद्ध कर प्रार्थी के मौका व कब्जानुसार रिकॉर्ड में सही तरमीम ने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध दिनांक 17/12/2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ने जबाब/मौका रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 वर्ष 2019 से स्थायी में खसरा नम्बर 1117/0.16 हैक्टर पर हाजरा पत्नि अब्दुल रसीद 1/2 हिस्सा, अब्दुल मजीद पुत्र ईस्माईल 1/2 हिस्सा जाति मेव साकिन धीमरी खातेदार रिकॉर्ड है। जबकि मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1117/0.16 पर शहीद पुत्र जुहरू जाति मेव साकिन धीमरी कब्जे काश्त है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 वर्ष 2019 से स्थायी में खसरा नम्बर 1119/0.16 हैक्टर पर शहीद पुत्र जुहरू जाति मेव साकिन धीमरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि मौके पर खसरा नम्बर 1119/0.16 हैक्टर पर हाजरा पत्नि अब्दुल रसीद 1/2 हिस्सा, अब्दुल मजीद पुत्र ईस्माईल 1/2 हिस्सा जाति मेव साकिन धीमरी कब्जे काश्त है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस प्रार्थी का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण खसरा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 1119/0.16 पर प्रार्थी शहीद पुत्र जुहरू एवं खसरा नम्बर 1117/0.16, पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 हाजरा पत्नि अब्दुल रसीद 1/2 हिस्सा, अब्दुल मजीद पुत्र ईस्माईल 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज है। परन्तु मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 1117/0.16 पर शहीद पुत्र जुहरू जाति मेव साकिन धीमरी कब्जे काश्त है। खसरा नम्बर 1119/0.16 हैक्टर पर हाजरा पत्नि अब्दुल रसीद 1/2 हिस्सा, अब्दुल मजीद पुत्र ईस्माईल 1/2 हिस्सा जाति मेव साकिन धीमरी कब्जे काश्त है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 1117 पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम कलमजन कर प्रार्थी के नाम एवं आराजी खसरा सं0 1119 पर प्रार्थी के नाम कलमजन कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.12.2021 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रमाणित
उपखण्ड
पहाड़ी

Scanned with CamScanner